भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 310

15 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: शीतागार का निर्माण

310. श्री निशीथ प्रामाणिकः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की किसानों को फसल के मौसम के दौरान ही शीघ्र खराब होने वाले फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए और उचित मूल्य प्राप्त करने और उनके माल को कम मूल्य पर बेचने से संरक्षण प्रदान करने के लिए भंडारण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में शीतागार के निर्माण की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): सरकार अपने शीतागारों की स्थापना नहीं करती हैं। हालांकि, सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिसके तहत पश्चिम बंगाल सहित देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये शीतागार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में फसलों की भारी मात्रा में भंडारण हेतु स्थापित किए गए हैं। तथापि, इस विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागारों के लिए केन्द्रीय रूप से अलग से कोई डेटा अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2007 से अब तक एमआईडीएच के तहत मंजूर किए गए राज्य-वार, वर्ष-वार शीत भांडागारों का विवरण **अनुबंध** पर हैं।

योजनाएं जिनके तहत देश में शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i) **समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच):**

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत शीतागारों की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये घटक मांग/उद्यम चालित है जिसके लिए सार्वजिनक एवं निजी उद्यमों दोनों के लिए परियोजना की पात्र पूंजी लागत की 35 प्रतिशत दर (सामान्य क्षेत्र के लिए) और 50 प्रतिशत (पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए) की दर पर ऋण संबद्ध पार्श्वान्त राज सहायता के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध रहती है।

ii) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई):

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर बागवानी उपज के फसलोपरान्त नुकसान को कम करने तथा किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक के रूप में समेकित शीत श्रृखंला एवं मूल्यवर्धन अवसरंचना योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत मंत्रालय भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35 प्रतिशत की दर पर और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीप समूहों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर तथा मूल्यवर्धन व प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमश: 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दर पर अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विकिरण सुविधा सहित समेकित शीत श्रृंखला की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपए के अध्यधीन है। स्टैंडलोन शीतागारों को स्कीम के तहत कवर नहीं किया जाता है।

अनुबंध-I

वर्ष 2007 से अब तक एमआईडीएच के तहत मंजूर किए गए राज्य-वार, वर्ष-वार शीत-भांडागारों का विवरण

लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			सकल कुल		
सं.		पी	सीपी	एफ	पी	सीपी	एफ	पी	सीपी	एफ	पी	सीपी	एफ	पी	सीपी	एफ
1	आंध्र प्रदेश	2	14760	284.20	2	17357	192.36	3	36888	642.09				**7**	**69005**	**1118.65**
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
3	असम	0	0	0.00	2	15200	536.38	1	10000	340.00				**3**	**25200**	**876.38**
4	बिहार	0	0	0.00	3	22172	526.47	0	0	0.00				**3**	**22172**	**526.47**
5	चंडीगढ़	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
6	छत्तीसगढ़	0	0	0.00	1	3243	269.82	0	0	0.00				**1**	**3243**	**269.82**
7	दिल्ली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
8	गोवा	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
9	गुजरात	116	564289	17842.33	68	289567	7265.00	12	33964	1181.77	1	3452	158.02	**197**	**891272**	**26447.12**
10	हरियाणा	9	31554	1140.55	4	10890	938.49	0	0	0.00				**13**	**42444**	**2079.04**
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	9	16657	1148.55	0	0	0.00				**9**	**16657**	**1148.55**
12	जम्मू और कश्मीर	17	72109	13252.01	3	15094	1384.95	5	17909	2796.00	5	22000	2774.33	**30**	**127112**	**20207.29**
13	झारखंड	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
14	कर्नाटक	7	21877	783.91	5	26346	656.93	5	44524	971.13				**17**	**92747**	**2411.97**
15	केरल	1	1300	45.50	0	0	0.00	0	0	0.00				**1**	**1300**	**45.50**

16	मध्य प्रदेश	3	22102	618.59	3	22340	554.69	1	5652	153.35				**7**	**50094**	**1326.63**
17	महाराष्ट्र	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
18	मणिपुर	1	1600	80.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**1**	**1600**	**80.00**
19	मेघालय	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
20	मिजोरम	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
21	नगालैंड	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
22	ओडिशा	2	1200	19.60	0	0	0.00	0	0	0.00				**2**	**1200**	**19.60**
23	पंजाब	14	47660	1802.13	19	100015	2564.27	4	21445	549.22				**37**	**169120**	**4915.62**
24	राजस्थान	1	6000	120.00	10	41829	1043.71	1	5800	148.00				**12**	**53629**	**1311.71**
25	सिक्किम	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
26	तमिलनाडु	0	10000	0.00	3	14576	329.16	3	23260	541.66				**6**	**47836**	**870.82**
27	तेलंगाना	0	0	0.00	4	20000	560.00	4	37046	720.99				**8**	**57046**	**1280.99**
28	त्रिपुरा	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
29	उत्तर प्रदेश	61	272622	7762.38	41	205681	5693.28	6	43915	890.21				**108**	**522218**	**14345.87**
30	उत्तराखंड	1	2400	419.53	0	0	0.00	0	0	0.00				**1**	**2400**	**419.53**
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				**0**	**0**	**0.00**
	कुल	**235**	**1069472**	**44170.73**	**177**	**820967**	**23664.06**	**45**	**280403**	**8934.42**	**6**	**25452**	**2932.35**	**463**	**2196294**	**79701.56**

पी – परियोजनाओं की संख्या

सीपी – क्षमता एमटी में

एफ –एमआईडीएच के तहत मंजूर की गई वित्तीय सहायता

****